infiltrators and they are also organising on the borders. May I know whether Government has been alert to this and will be able to tell us as to which are the borders where they are more active?

Shri Vidya Charan Shukla: They are active on all our borders between India and Pakistan.

Shri Hem Barua: May I know if the hon. Home Minister is in a position to tell us the extent to which the Pakistan High Commission in Delhi and other Pakistani diplomatic missions in our country are involved in espionage work in our country today?

Shri Vidya Charan Shukla: This does not really arise out of this question.

Shrimati Renu Chakravartty: May I ask just one question of the Home Minister because he has never answered it?

Mr. Speaker: I have allowed her to ask one.

Shri Hem Barua: May I make a submission on a very important matter?

Mr. Speaker: It might be a very important matter........

Shri Hem Barua: The intruders are in collusion with the spies and recently in the arrest of the AICC employee and some other Congressmen in Calcutta it has been alleged that the Deputy Pak High Commission has been financing these people.

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

+

*483. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और उनसे सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग के बारे अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार हिन्दी सलाहकार समिति के सवसम्मति से किये गये कुछ निर्णयों को भी कार्यान्वित नहीं कर सकी है ; और

(ग) क्या यह भी सच है की वे कर्मचारी भी जिन्होंने हिन्दी परीक्षाएं पास की थी राज-भाषा के बारे में सरकार की कमजोर नीति के कारण हिन्दी भूलते जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—6798/66]**

(ख) हिन्दी सलाहकार समिति की केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रयोग के लिये स्थापित उस समिति द्वारा जून 1966 के अंत तक 35 सिफारिशें की गई। इनमें से अभी तक 26 सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई है। ये कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं शेष में से 7 विचाराधीन हैं। शेष 2 स्फारिशों को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका।

(ग) जी नहीं। हिन्दी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के एक काफी बड़े भाग को किसी न किसी प्रकार हिन्दी के काम से सम्पर्क का मौका मिलता है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में पहले बताया कि 35 सिफारिशें की गई थीं, उन में से कुछ मानी गई और कुछ विचाराधीन हैं। बाद में उन्होंने बताया कि दो सिफारिशों को मानने में हम असमर्थ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन सिफारिशों को न मानने का प्रमुख कारण क्या है? इन सिफारिशों में कौन सी ऐसी बात थी कि इनको माना नहीं जा सका ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जिन दो सिफारिशों को माना नहीं गया है वे सिफारिशें भारत सरकार की हिन्दी निति जो है, संविधान के अनुसार हिन्दी नीति जो भारत सरकार चला रही है, उसके अनुरूप नहीं थीं। इसलिए उनको नहीं माना गया।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या यह सही है कि कुछ कार्यालयों के अन्दर कोई एप्लीकेशन या कोई भी फाइल हिन्दी में जब जाती है तो कुछ अफसरों द्वारा यह कहा जाता है, अधिकारियों द्वारा यह कहा जाता है कि इसके साथ आप हमें अंग्रेजी का नोट लगाकर दीजिये? मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की कितनी शिकायतें मंत्रालय को या भारत सरकार को मिली हैं जहां ऐसा कहा गया हो अफसरों द्वारा कि अंग्रेजी का नोट लगाकर दो? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ सरकार क्या कोई कार्रवाई करने जा रही है? यह प्रथा बिल्कुल समाप्त हो इसके लिए सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह बात ठीक है कि कुछ सरकारी नौकर जिन्हें हिन्दी ठीक से नहीं आती है उनके पास हिन्दी के जब पत्र आते हैं या नोट आते हैं तो उनको पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन ऐसी कोई शिकायतें सरकार के पास नहीं आई हैं कि किसी अफसर ने किसी काम को करने से इन्कार कर दिया हो इसलिए कि वह हिन्दी में लिखा हुआ था। और जो मंत्रालय हैं...

अध्यक्ष महोदय : क्या वे ट्रांस्लेशन पर जोर देते हैं कि ट्रांस्लेशन साथ दो?

श्री विद्या चरण शुक्ल: यही मैं कह रहा हूं कि ट्रांस्लेशन की सुविधा हर मंत्रालय में उपलब्ध है और कहीं से भी कोई चीज या चिट्ठी हिन्दी में आती है तो उसका ट्रांस्लेशन तुरन्त हो जाता है और उसका डिस्पोजल भी हो जाता है।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : पहले भी मैंने यह निवेदन किया था और अब फिर मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि आपके मंत्रालय द्वारा बनाए हुए नियमों को कृषि मंत्रालय के अन्दर सर्वथा उल्लंघन किया जा रहा है?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री म० ला० द्विवेदी : जो वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया हैं उसमें बताया गया है कि हिन्दी राज्यों से पत्र-व्यवहार की जो संख्या है वह केवल 54 प्रतिशत है जबकि गृह मंत्रालय का यह निर्णय है कि हिन्दी राज्यों से जो हिन्दी में पत्र आयेंगे उनका उत्तर केवल हिन्दी में ही दिया जाएगा? मैं जानना चाहता हूं कि इस धीमी प्रगति का कारण क्या है?

गृह मंत्रालय में 45 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों के लिए तो नहीं लेकिन 45 वर्ष के नीचे के सभी कर्मचारियों के लिए हिन्दी की शिक्षा देने का कार्यक्रम बहुत समय से, बहुत पहले से शुरू हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या प्रगति हुई है और साथ ही साथ यह भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि हिन्दी राज्यों के पत्रों के उत्तर हिन्दी में नहीं दिये जाते हैं?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं अनुरोध करूंगा कि सभा पटल पर जो विवरण रखा गया है उसे माननीय सदस्य ठीक से देख लें। 1964 में यह प्रतिशत 54 था लेकिन 1965 में यह प्रतिशत बढ़ कर 78 हो गया। विवरण में यह लिखा हुआ है। इससे पता लगता है कि प्रगति हो रही है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैंने यह भी पूछा था कि 45 बरस से नीचे जो कर्मचारी हैं उन में से कितने प्रतिशत को हिन्दी सिखाई जा चुकी है यह नहीं बताया गया है यह मेरे प्रश्न का दूसरा भाग था। इसका उत्तर मंत्री महोदय नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : दो आप मिलाते हैं और एक का जवाब आ जाता है तो मैं आगे चला जाऊंगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : हम लोगों के सवालों के उत्तर नहीं मिलते है। लोहिया साहब के उल्टे सीधे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। हम यही सवाल पूछते हैं तो भी उत्तर नहीं मिलते हैं। अगर उपमंत्री जवाब देने में असमर्थ हैं तो गृह मंत्री महोदय बैठे हुए हैं और वह जवाब दे सकते हैं। ये नहीं दे सकते हैं तो वह दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इनको हुकम मानिये जी। यह कहते हैं कि मैं लोहिया साहब की बात को मान लेता . .

श्री विद्या चरण शुक्ल : सरकारी अधिकारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण की एक योजना है। उस योजना के अनुसार हर एक अफसर को हिन्दी की शिक्षा दी जा रही है और उसी योजना के अनुसार पूरा काम चल रहा है। इसके सम्बन्ध में यदि कोई गड़बड़ी कहीं है या योजना के अनुसार काम नहीं हुआ है तो मैम्बर साहब बतायें और उसके बाद जांच करके पूरी जानकारी दी जाएगी।

श्री म० ला० द्विवेदी : मुख्य प्रश्न यह था कि कितने प्रतिशत ने हिन्दी सीख ली है। इसका उत्तर नहीं दिया गया है। 45 बरस के नीचे के कितने कर्मचारियों ने हिन्दी सीख ली है?

श्री विद्या चरण शुक्ल : वह नहीं बता सकता हूं।

श्री म० ला० द्विवेदी : इसलिए कहा है कि गृह मंत्री उत्तर दें। वह बैठे हुए हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय: अपनी पार्टी में पूछ लेना।

श्री म० ला० द्विवेदी : पार्टी में क्यों पूछें? हम लोक सभा के सदस्य हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय उपमंत्री जी ने बताया है कि हिन्दी-प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कुछ कर्मचारियों ने हिन्दी सीखी है और उनका हिन्दी से किसी न किसी प्रकार सम्पर्क बना हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कुल मिलाकर उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है, उनको हिन्दी सिखाने पर कितना रुपया और समय व्यय हुआ है और क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन लोगों को हिन्दी सिखाने पर इतना रुपया और समय व्यय किया गया है, क्या उन लोगों से हिन्दी का काम लिया जा रहा है; यदि नहीं, तो क्यों इतना रुपया और समय उन पर व्यय किया गया है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : परिस्थितियों के अन्तर्गत जितने अधिकारियों से काम लिया जा सकता है, वह लिया जा रहा है। कुछ कठिनाइयां ऐसी हैं—जिनको सदस्य महोदय जानते हैं –, जिनके कारण इस काम में थोड़ी कठिनाई उत्पन्न हुई थी। जैसे ही यह कठिनाई दूर होगी, हिन्दी के लिए जितना काम हो सकता है, और इन अधिकारियों से जितना काम लिया जा सकता है, वह अवश्य लिया जायेगा। कितने लोगों को हिन्दी सिखाई गई है और इस पर कितना ख़र्च हुआ है, आदि, यदि इसके बारे में माननीय सदस्य अलग से प्रश्न भेजें, तो मैं जवाब दे दंगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है और प्रश्न के भाग (ग) से सम्बन्धित है, जिसमें पूछा गया है कि कितने लोग हिन्दी सीखे हैं और क्या उनसे कार्य लिया जा रहा है। क्या मंत्रालय इस प्रश्न से सम्बन्धिनत इतनी जानकारी भी नहीं दे सकता है कि इन लोगों के प्रशिक्षण पर कितना रुपया और समय नष्ट हुआ है?

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब कहते हैं कि यह इन्फार्मेशन इस वक्त उनके पास नहीं है।

श्री म० ला० द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना एक महीना पहले दी गई थी। इसके बावजूद मंत्री महोदय यह सूचना नहीं दे सकते हैं। यह हमारे अधिकार में है कि हम इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि इनके प्रश्न में . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास यह जानकारी है कि कितने आदमियों को सिखाया गया है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मेरे पास इस वक्त यह जानकारी नहीं है, लेकिन मंत्रालय के पास यह जानकारी है।

श्री शिव नारायण : इस सरकार ने, इस देश ने और इस देश के महान् नेताओं ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना। मैं इस सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उसको सरकारी अधिकारियों से इतनी ममता क्यों लगी हुई है। जो सरकारी अधिकारी हिन्दी नहीं सीखना चाहते हैं, सरकार उनको सलाम क्यों नहीं कर देती है ? सरकार उत्तर प्रदेश में, जो कि एक हिन्दी-भाषी प्रान्त है, चिट्ठी के साथ उसका ट्रान्सलेशन क्यों भेजती है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई अधिकारी हिन्दी नहीं सीखना चाहता है। योजना के अनुसार सरकारी अधिकारी हिन्दी सीखते जा रहे हैं। जो अधिकारी हिन्दी नहीं सीखना चाहेंगे, उन पर नियम के अनुसार कार्यवाही अवश्य की जायेगी।

श्री रामेश्वरानन्द : सरकार की तरफ़ से बार-बार कहा जा रहा है कि हम हिन्दी के लिए बड़ा यत्न कर रहे हैं। फिर भी हिन्दी के राजभाषा होते हुए भी उसकी प्रगति नहीं हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दी की प्रगति न होने का कारण यह है कि अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग राज्य की ऊंची से ऊंची गद्दियों पर बैठे हुए हैं और उनको भय है कि अगर हिन्दी आगे आ गई, तो उनके बेटे-पौते पीछे रह जायेंगे और उनको गद्दी नहीं मिलेगी।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जी नहीं, यह बात ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सहाय पाण्डेय।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने जवाब दे दिया है कि ऐसी बात नहीं है।

श्री रामेश्वरानन्द : मैंने पूछा है कि हिन्दी के प्रगति न करने का क्या कारण है।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं बैठ जाता हूं, लेकिन कारण तो बताया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने जवाब दे दिया है।

श्री रामेश्वरानन्द : नहीं दिया है। "यह बात नहीं है," क्या यह जवाब है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री पाण्डेय।

श्री राम सहाय पाण्डेय : सरकारी कर्मचारियों के द्वारा हिन्दी-प्रयोग के संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से ऐसे प्रान्त है, जिनका केन्द्र से पत्र-व्यवहार हिन्दी में होता है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : ज्यादातर हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों से, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश।

श्री रामसेवक यादव : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि हिन्दी प्रदेशों में अधिकारी-वर्ग, और मुख्यतया आई० ए० एस० अधिकारी, अंग्रेजी में ही

सारा काम-काज चलाते है, यहां तक कि अदालतों की चार्जशीट भी अंग्रेजी में दी जाती है; यदि हां, तो क्या वह इसको राष्ट्र-भाषा की प्रगति में बाधक नहीं समझते हैं और वह इस बारे में क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हिन्दी सलाहकार समिति की एक उपसमिति इस काम को देखती है और इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रदेशों का दौरा भी करती है । उसकी कई मीटिंग्ज में हमको यह सूचना मिली है कि हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में इन सब प्रदेशों में काफ़ी उन्नति हो रही है ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, यह हिन्दी की तरक्की हो रही है, वह राष्ट्र-भाषा को गई। पर बिठाई जा रही है, देश में प्रगति हो रही है, समाजवाद आ रहा है, समानता स्थापित हो रही है, यह तो मेरा प्रश्न नहीं था । मेरा साफ़ प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय को ऐसी जानकारी है कि हिन्दी प्रदेशों में अंग्रेजी में राजकाज चलता है, अदालतों की चार्जशीट वगैरह अंग्रेजी में दी जाती है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं ने बताया है कि अभी भी वहां कुछ शासकीय काम अंग्रेजी में होता है, पर उन प्रदेशों में हिन्दी की प्रगति धीरे धीरे होती जा रही है । यही मैं ने बताया है ।

Shri Hem Barua: May I know whether Government are aware of the fact that the Ministers whose mother-tongue is Hindi are often found speaking in indifferent English at receptions given to non-English speaking foreign dignitaries and whether Government are also aware of the fact that the Ministers whose mother-tongue is Hindi prefer to send their children for education to English-medium schools and not to Hindi-medium schools?

Shri Vidya Charan Shukla: This concerns individual Ministers. What can I say about it? (*Interruptions*).

Some Hon. Members: We could not hear the answer.

Shri Vidya Charan Shukla: I said that this concerned the individual Ministers and individual Members including Members of the Opposition. What can Government say about these things? How can Government say whether they send their children to schools with Hindi-medium or English-medium?

Shri Hem Barua: I only wanted to know whether Government were aware of this. I would like to know whether Government are aware of the fact that Ministers whose mother-tongue is Hindi are found to speak in indifferent English at receptions given to non-English speaking foreign dignitaries. I was personally present at one of those functions.

Mr. Speaker: Does the hon. Member expect the Home Minister to give an assessment about whether they speak in indifferent English or not?

Shri Hem Barua: Please take out the word 'indifferent'. Let the word be English only.

Mr. Speaker: The hon. Member wants to know whether the Minister is aware of this fact.

Shri Vidya Charan Shukla: This may be happening but we have not made any enquiries about it.

मिजो विद्रोही

\+

*484. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो विद्रोहियों ने एक पत्र के जरिये "आसाम